कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- apccf-development@gov.in, Phone & Fax No. 0651-2481813

झारखण्ड सरकार

पत्रांक : 01 / यो0बजट–13 / 2016–727 दिनांक : 12.06.2018

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल, गढ़वा / गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल, गढ़वा / मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर /

वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा / चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा / कोडरमा वन प्रमंडल, कोडरमा / हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग / हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग

वन प्रमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह /

वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमंडल, गढ़वा / सामाजिक वानिकी प्रमंडल, लातेहार / सामाजिक वानिकी प्रमंडल, कोडरमा /

विषय :– वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2022–23 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में कार्यान्वित की जाने वाली पुनर्नामित "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत बाँस गैबियन से वृक्षारोपण, रैखिक वृक्षारोपण एवं गैर–वनभूमि पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) के लिए कुल **रू0 233.500 लाख (दो करोड़ तैंतीस लाख पचास हजार रूपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

प्रसंगः– वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–04 / यो0बजट–26 / 2016–31 / स्वी0 व0प0 दिनांक 07.09.2016 एवं वन विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04 / यो0बजट–26 / 2016–29 / आ0 व0प0 दिनांक 26.04.2018 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406–वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष– 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–59–अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में उपबंध के अंतर्गत प्राप्त आवंटन से कुल **रू0 233.500 लाख (दो करोड़ तैंतीस लाख पचास हजार रूपये) मात्र** का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:–

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601789590103	186.809
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601789590323	46.691
कुल :–		**233.500**

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक–1 (क) से (ग)** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने–अपने कार्यालयों के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक–2 (क) से (ग)** तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक–3** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या– पी0 19S240601789590103 तथा पी0 19S240601789590323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत सुसंगत दिशा–निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

5. वन प्रमण्डलों द्वारा "स्थल विशेष प्राक्कलन" श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर एवं कार्य दरों पर तैयार किया जायेगा तथा प्राक्कलन पर वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 564 दिनांक 18.02.2008 के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम वन पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की जायेगी जिसका प्रमंडलवार समेकित प्रतिवेदन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय में समर्पित किया जाएगा।

नियंत्री तथा व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप ही रखा जायेगा तथा राशि का व्यय वास्तविक रूप से स्थल विशेष प्राक्कलन पर प्रदत तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन तक सीमित रखा जायेगा।

6. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास होंगे। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्रक पदाधिकारियों एवं सबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ वन संरक्षक द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।

7. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी परिस्थति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथ एतद् संबंधी पत्र–परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरूद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

9. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

11. रोपित पौधों / वृक्षों में जीवित पौधों की आवश्यकतानुसार जाँच / सत्यापन असम्बद्ध प्रमण्डल से कराई जायेगी। वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आँकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जाये।

12. योजनाओं में सामग्रियों का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या–940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

14. स्वीकृत्यादेश में निहित समस्त दिशा–निर्देशों का ससमय अनुपालन अक्षरशः सुनिश्चित किया जाएगा।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0बजट–13/2016–727** दिनांक– **12.06.2018**

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू, हजारीबाग/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गढ़वा/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह/एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0बजट–13/2016–727** दिनांक– **12.06.2018**

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, गढ़वा/कोषागार पदाधिकारी, मेदिनीनगर/ कोषागार पदाधिकारी, चतरा/ कोषागार पदाधिकारी, कोडरमा/ कोषागार पदाधिकारी, हजारीबाग/कोषागार पदाधिकारी, गिरिडीह/ कोषागार पदाधिकारी, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–1 (क)

वित्तीय वर्ष 2018–19 में कार्यान्वित की जानेवाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" (पुरानी– पथतट रोपण–सह–शहरी वानिकी) योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत बाँस गैबियन से वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय / वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य बाँस गैबियन (संख्या में)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			272.99	69.50	342.49
i	ii	vii	viii	ix	x
1	गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल, गढ़वा	5500	15.014	3.823	18.837
2	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल, गढ़वा	5500	15.014	3.823	18.837
3	मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर	6000	16.379	4.170	20.549
4	चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा	6000	16.379	4.170	20.549
5	चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा	7000	19.109	4.865	23.974
6	कोडरमा वन प्रमंडल, कोडरमा	7000	19.109	4.865	23.974
7	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग	7500	20.475	5.212	25.687
8	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग	7500	20.475	5.212	25.687
9	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, गढ़वा	5814	15.872	4.041	19.913
10	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, लातेहार	6118	16.702	4.252	20.954
योग :–		**63932**	**174.528**	**44.433**	**218.961**

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

D:\2018-19\Development\Sub-Allotment\RSP\SCSP\S. O. 31 dt. 07.09.16\RSP 3rd year

अनुलग्नक–1 (ख)

वित्तीय वर्ष 2018–19 में कार्यान्वित की जानेवाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" (पुरानी– पथतट रोपण–सह–शहरी वानिकी) योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत रैखिक वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय / वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य रैखिक वृक्षारोपण (कि0मी0)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			50324.56	5368.00	55692.56
i	ii	vii	viii	ix	x
1	मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर	7.50	3.774	0.403	4.177
योग :–		**7.50**	**3.774**	**0.403**	**4.177**

अनुलग्नक–1 (ग)

वित्तीय वर्ष 2018–19 में कार्यान्वित की जानेवाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" (पुरानी– पथतट रोपण–सह–शहरी वानिकी) योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय / वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे0)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			10007.94	2182.40	12190.34
i	ii	vii	viii	ix	x
1	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह	45.00	4.504	0.982	5.486
2	सा0वा0 प्रमण्डल, कोडरमा	40.00	4.003	0.873	4.876
योग :–		**85.00**	**8.507**	**1.855**	**10.362**
सकल योग :–			**186.809**	**46.691**	**233.500**

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

D:\2018-19\Development\Sub-Allotment\RSP\SCSP\S. O. 31 dt. 07.09.16\RSP 3rd year

अनुलग्नक–2 (क)

वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए कार्य दर तालिका (प्रति गैबियन)

पथतट / संस्थानों आदि की भूमि पर बाँस –गैबियन में वृक्षारोपन

1. बाँस–गैबियन का आकारः 6'-6"x2'-6"x2'-6" 2. स्पेसिंग – पंक्ति से पंक्ति की दूरी – 3 मी0

3. मजदूरी दर : रू0 237.38 प्रति मानव दिवस – पौधे से पौधे की दूरी – 8 मी0

क्र0 सं0	कार्य की विवरणी	इकाई	मानव दिवस (प्रति हे0)	मजदूरी, (रू0)	सामग्री प्रति हे0	कुल व्यय (रू0)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(D)	वित्तीय वर्ष 2018–19 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष)						
1	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम– 5ग्रा. युरिया 5ग्राम कीटनाशक; द्वितीयः 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीयः 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का वदलाव		0.15	35.61	4.50	**40.11**	
2	पटवन (रिक्शा/ठेला द्वारा)		0.50	118.69	5.00	**123.69**	
3	बाँस गैबियन का मरम्मती एवं सुरक्षा		0.50	118.69	60.00	**178.69**	
	योग		**1.15**	**272.99**	**69.50**	**342.49**	

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–2 (ख)

वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : कंटीले तार से घेरान के साथ पथतट रोपण

(Multi Row with barbed wire fencing)

स्पेसिंग | पंक्ति से पंक्ति की दूरी–3 मी0
पौधे से पौधे की दूरी–3 मी0

मजदूरी दर : रू0 237.38 प्रति मानव दिवस   प्रति कि0मी0 पौधों की संख्या–2000 पौधे

क्र0 सं0	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल व्यय (रू0 में)
i	ii	iii	iv	vi	v	vii
ग	वित्तीय वर्ष 2018–19 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष)					
1	एक कोड़नी–निकौनी	प्रति कि0 मी0	28.00	6646.64	0.00	6646.64
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	प्रति कि0 मी0	0.00	0.00	1368.00	1368.00
3	पौधों की सुरक्षा	प्रति कि0 मी0	180.00	42728.40	0.00	42728.40
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन (लगभग 10 प्रतिशत मृत पौधों का प्रतिस्थापन)	200 पौधा	4.00	949.52	4000.00	4949.52
	योग :–		**212.00**	**50324.56**	**5368.00**	**55692.56**

अनुलग्नक–2 (ग)

वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर प्रति हे0

योजना का नाम– अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण गैर–वन भूमि अंतर्गत वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हे0 : 1666

पौधों की दूरी : (3 मी0 X 2 मी0)   मजदूरी दर : रू0 237.38 प्रति मानव दिवस

क्र0	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल व्यय (रू0 में)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
(A)	वित्तीय वर्ष 2018–19 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष)					
1	एक कोड़नी एवं निकौनी	हे0	23.00	5459.74	0.00	5459.74
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	1892.40	1892.40
3	पौधों की सुरक्षा (30 हे0 तक) पौधों की सुरक्षा (30 हे0 से अधिक)	हे0	12.16	2886.54	0.00	2886.54
4	गड्ढा घेरान की मरम्मत	हे0	4.00	949.52	0.00	949.52
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे0	3.00	712.14	290.00	1002.14
	योग :–		**42.16**	**10007.94**	**2182.40**	**12190.34**

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

D:\2018-19\Development\Sub-Allotment\RSP\SCSP\S. O. 31 dt. 07.09.16\RSP 3rd year

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वितीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 01/YB-13/16P2/727

दिनांक - 12-Jun-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	34380	GRHFWL001 ASHOK KUMAR DUBEY D.F.O. NORTH DIV. GARHWA	1,501,400.00 रुपये पंद्रह लाख एक हजार चार सौ
2	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	34381	GRHFWL004 SR ARVIND KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA	1,501,400.00 रुपये पंद्रह लाख एक हजार चार सौ
3	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	34382	PLMFOR070 NARESH CHANDRA SINGH MUNDA D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV.	2,015,300.00 रुपये बीस लाख पंद्रह हजार तीन सौ

योग: 5,018,100.00

क्रमिक योग: रुपये पचास लाख अठारह हजार एक सौ

(SHRI SATNAM SINGH
BADHAWAN IFS)
PCCF.DEV.(JHARKHAND)RANCHI

59.97.153.179

Run Date: 12/6/2018

पत्र संख्या - 01/YB-13/16P2/727 दिनांक - 12-Jun-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	34384	CTRFOR003 SRI KALI KINKER D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	1,637,900.00 रुपये सोलह लाख सैतीस हजार नौ सौ
5	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	34385	CTRFOR002 RAVINDRA NATH MISHRA D.F.O, NORTH DIV. CHATRA	1,910,900.00 रुपये उन्नीस लाख दस हजार नौ सौ
6	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	34386	KDMFORA01 SURAJ KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA	1,910,900.00 रुपये उन्नीस लाख दस हजार नौ सौ

योग: 5,459,700.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड चार लाख सित्योत्तर हजार आठ सौ 10,477,800.00

(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF.DEVELOPMENT (HOFF) RANCHI

 59.97.153.179 Run Date: 12/6/2018

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	34387	HZBFWL009 SUSHIL SOREN DIV. FOREST OFFICE EAST	2,047,500.00 रुपये बीस लाख सैतालीस हजार पॉच सौ
8	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	34388	HZBFWL005 RAJIV RANJAN D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB	2,047,500.00 रुपये बीस लाख सैतालीस हजार पॉच सौ
9	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	34389	GRDFOR003 SRI SATYAM KUMAR D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	450,400.00 रुपये चार लाख पचास हजार चार सौ

योग: 4,545,400.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड पचास लाख तेइस हजार दो सौ 15,023,200.00

(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF.DEV.JHARKHAND (BADHAN IFS) RANCHI

पत्र संख्या - 01/YB-13/16P2/727 दिनांक - 12-Jun-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	34390	KDMFORA02 RAMESH PRASAD KAMAL D.F.O (S.F.) KODERMA	400,300.00 रुपये चार लाख तीन सौ
11	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	34391	GRHFWL003 SHYAM BIHARI PRASAD DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW	1,587,200.00 रुपये पंद्रह लाख सित्यासी हजार दो सौ
12	S 19 240601789590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	34392	LTRFOR004 ARVIND KUMAR GUPTA D.F.O. SFD LATEHAR	1,670,200.00 रुपये सोलह लाख सत्तर हजार दो सौ

योग: 3,657,700.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड छियासी लाख अस्सी हजार नौ सौ 18,680,900.00

(SHRI SATNAM SINGH

PCCF.DEVADHAKANDIS)RANCHI

 59.97.153.179 Run Date: 12/6/2018

पत्र संख्या - 01/YB-13/16P2/727 दिनांक - 12-Jun-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	34393	GRHFWL001 ASHOK KUMAR DUBEY D.F.O. NORTH DIV. GARHWA	382,300.00 रुपये तीन लाख बयासी हजार तीन सौ
14	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	34394	GRHFWL004 SR ARVIND KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA	382,300.00 रुपये तीन लाख बयासी हजार तीन सौ
15	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	34395	PLMFOR070 NARESH CHANDRA SINGH MUNDA D.F.O.MEDININAGAR.OREST.DIV.	457,300.00 रुपये चार लाख सत्तावन हजार तीन सौ

योग: 1,221,900.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड निन्नानवे लाख दो हजार आठ सौ 19,902,800.00

(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF.DEV.(HAWKHANDS)RANCHI

पत्र संख्या - 01/YB-13/16P2/727

दिनांक - 12-Jun-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	34396	CTRFOR003 SRI KALI KINKER D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	417,000.00 रुपये चार लाख स त्र ह हजार
17	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	34397	CTRFOR002 RAVINDRA NATH MISHRA D.F.O, NORTH DIV. CHATRA	486,500.00 रुपये चार लाख छियासी हजार पॉच सौ
18	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	34398	KDMFORA01 SURAJ KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA	486,500.00 रुपये चार लाख छियासी हजार पॉच सौ

योग: 1,390,000.00

क्रमिक योग: रुपये दो करोड बारह लाख बयानवे हजार आठ सौ 21,292,800.00

(SHRI SATNAM SINGH BADHAWAN IFS)

PCCF.DEV. JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	34399	HZBFWL009 SUSHIL SOREN DIV. FOREST OFFICE EAST	521,200.00 रुपये पाँच लाख इक्कीस हजार दो सौ
20	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	34400	HZBFWL005 RAJIV RANJAN D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB	521,200.00 रुपये पाँच लाख इक्कीस हजार दो सौ
21	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	34401	GRDFOR003 SRI SATYAM KUMAR D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	98,200.00 रुपये अठानवे हजार दो सौ

योग: 1,140,600.00

क्रमिक योग: रुपये दो करोड चौइस लाख तैंतीस हजार चार सौ 22,433,400.00

(SHRI SATNAM SINGH BADHAWAN IFS)

PCCF.DEVELOPMENT, RANCHI

पत्र संख्या - 01/YB-13/16P2/727

दिनांक - 12-Jun-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
22	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	34402	KDMFORA02 RAMESH PRASAD KAMAL D.F.O (S.F.) KODERMA	87,300.00 रुपये सित्यासी हजार तीन सौ
23	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	34403	GRHFWL003 SHYAM BIHARI PRASAD DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW	404,100.00 रुपये चार लाख चार हजार एक सौ
24	S 19 240601789590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Centeral Scheme : NA	34404	LTRFOR004 ARVIND KUMAR GUPTA D.F.O. SFD LATEHAR	425,200.00 रुपये चार लाख पच्चीस हजार दो सौ

योग: 916,600.00

क्रमिक योग: रुपये दो करोड तैतीस लाख पचास हजार 23,350,000.00

(SHRI SATNAM SINGH BADHAWAN IFS)
PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

59.97.153.179

Run Date: 12/6/2018